गणित्र सदन / Computer Centre
विश्वभारती / Visva-Bharati
सारांश सं./Docket No. 1329
तिथि/Date 20-1-20

विश्वभारती

शांतिनिकेतन

<u>अधिसूचना</u>

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि उपाचार्य महोदय ने संवर्ग समीक्षा समिति की संस्तुति के आधार कर्मसमिति की सहमति से

1. आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी
2. उप कुलसचिव या इसके समतुल्य

पदों के लिए संशोधित भर्ती नियम का अनुमोदन किया है।

संशोधित भर्ती नियम सभी संबंधित के सूचनार्थ संलग्न है।

सं. स्था./ई-III/पी-40 (एस)
दिनांक : 15/12/2019

हस्ता./-
कुलसचिव (कार्यकारी)
विश्वभारती

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु अग्रेषित :

1. सभी निदेशक/सभी अध्यक्ष
2. सभी शैक्षणिक एवं गैरशैक्षणिक विभाग/केंद्र के प्रधान
3. वित्त अधिकारी (स्थानापन्न)
4. सभी संयुक्त कुलसचिव/जेएफओ/ उप कुलसचिव/ आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी/ सहा. कुलसचिव
5. सीएमओ/सीएसओ/ यूई
6. प्रभारी, कंप्यूटर केंद्र
7. कुलपति के गोपनीय सचिव
8. सहा. कुलसचिव (बैठक) – कर्मसमिति द्वरा संपुष्टि हेतु।
9. कुलसचिव के निजी सहायक
10. विश्वविद्यालय वेबमास्टर – विश्वविद्यालय वेब साईट पर अपलोड हेतु ।
11. हिंदी अधिकारी – हिंदी में अनुवाद कर विश्वविद्यालय वेब साईट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें ।
12. फाइल

संलग्नक – I

आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी पद हेतु भर्ती नियमावली

		भर्ती नियमावली
01	पद का नाम	आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति के आधार पर)
02	पद की संख्या	01
03	वर्गीकरण	समूह – 'क' (प्रशासनिक सेवा)
04	वेतनमान	7वां सीपीसी के आधार पर स्तर–12, रू. 78,800/– के वेतन मैट्रिक्स में प्रवेश (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ओएम सं. 6/8/2009– स्था (पे–II) दिनांक 17/06/2010, समय–समय पर यथा संशोधित एवं भारत सरकार के अन्य निर्देशानुसार चयनित अधिकारी के प्रतिनियुक्ति के वेतन एवं शर्तों को विनियमित किया जाएगा।)
05	क्या चयन पद है या गैर–चयन पद	प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा – प्रारंभिक तीन वर्षों के लिए, भारत सरकार के नियमानुसार विस्तार दिए जा सकते हैं।
06	क्या विश्वभारती सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1967 के नियम 2.9 के तहत सेवा वर्षों के योग का लाभ मिल सकता है सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन	शून्य
07	आयु सीमा	56 वर्ष से अधिक न हो।
08	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	वांछनीय : सीए/सीएमए/एमबीए (वित्त)
09	न्यूनतम अनुभव	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्रीय स्वशासित/राज्य स्वशासित संगठन में लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवाएँ या इस तरह की अन्य लेखा सेवा में नियमित अधिकारी अथवा केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त संगठन में लेखापरीक्षा एवं लेखा में पे मैट्रिक्स स्तर–11 (7वां सीपीसी) या समतुल्य में नियमित तीन वर्ष की सेवा अथवा केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त संगठन में लेखापरीक्षा एवं लेखा में पे मैट्रिक्स स्तर–10 (7वां सीपीसी) या समतुल्य में नियमित पाँच वर्ष की सेवा
10	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र पदोन्नत के मामले में लागू होगी	लागू नहीं।
11	भर्ती प्रणाली	चयन समिति की संस्तुति पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर।
12	पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति की जानी है।	लागू नहीं।
13	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	शून्य
14	यदि डीपीसी विद्यमान है तो इसका संघटन क्या है	कर्मसमिति (ईसी) द्वारा चयन समिति का गठन।

संलग्नक – II

उप कुलसचिव एवं इसके समतुल्य पद हेतु भर्ती नियमावली

		भर्ती नियमावली
01	पद का नाम	उप कुलसचिव एवं समतुल्य पद/उप वित्त अधिकारी/लेखा अधिकारी
02	पद की संख्या	13
03	वर्गीकरण	समूह – 'क' (प्रशासनिक सेवा)
04	वेतनमान	7वां सीपीसी के आधार पर स्तर–12, आरंभिक वेतनमान रू. 78,800/–
05	चयन पद या गैर–चयन पद	लागू नहीं।
06	क्या विश्वभारती सेवानिवृत्ति लाभ नियम, 1967 के नियम 2.9 के तहत सेवा में बिताये गए अवधि का लाभ मिलेगा (सीसीएस पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन	नियमानुसार
07	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	31 दिसंबर, 2010 के डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 50 वर्ष से कम आयु के उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।
08	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता	कम–से–कम 50% अंक या समतुल्य ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर
09	न्यूनतम अनुभव	(1) अकादमिक स्तर–10 एवं ऊपर में सहायक प्रोफेसर के रूप में नौ वर्ष का अनुभव एवं शैक्षणिक प्रशासन का अनुभव, या (2) शोध संस्थान और/या अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में तुल्य अनुभव, या (3) सहायक कुलसचिव या समतुल्य पद पर 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव
10	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र पदोन्नत के मामले में लागू होगी	लागू नहीं।
11	भर्ती प्रणाली	(1) 75% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। (2) 25% पद चयन सह–वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।
12	पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति की जानी है।	(1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 13.12.88 के पत्रांक सं. एफ.10–52/87 डेस्क(यू) (केएसआर सं. 12 के अनुसार उच्च वेतनमान में सहायक कुलसचिव एवं इसके समतुल्य पद (सहा. लेखा अधिकारी, सहा. वित्त अधिकारी, जन संपर्क अधिकारी, कुलपति के गोपनीय सचिव) पर न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा। (2) पदोन्नति हेतु अपेक्षित योग्यता कम–से–कम स्नातक
13	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	एक वर्ष
14	यदि डीपीसी विद्यमान है तो इसका संघटन क्या है	कर्मसमिति (ईसी) द्वारा गठित चयन समिति/डीपीसी

नोट : शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता/अनुभव/भर्ती प्रक्रिया आदि (क्र.सं. 8,9 एवं 11) मेमो सं. एफ–10–52/87– डेस्क (यू) दिनांक 02.11.1988 के आलोक में एमएचआरडी, जीओआई के साथ संप्रेषित, यूजीसी के पत्रांक एफ 1–22/88 (एनपी–1) दिनांक 17.11.1988, केएसआर, सं. 12 दिनांक 13.12.1988 के द्वारा निर्धारित किया गया था। तथापि यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र सं. 1–32/2006–यू–11/यू 1 (ii) दिनांक 31 दिसंबर, 2008, एवं सं. 1–7/2005 यू. II (2) दिनांक 02 नवंबर, 2017 के आलोक में संशोधित किया गया है।